न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–313/2017

1–गोवर्धन पुत्र रामनाथ

2–शम्भू पुत्र श्रवणलाल

3–छपली पुत्री श्रवणलाल

4–भूरी पत्नि श्रवणलाल

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम–मीणों का बाढ, नायला, तहसील जमावारामगढ जिला जयपुर राज0।

–अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 ता 04–

बनाम

2–प्रभू पुत्र सरवा, जाति मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम–मीणों का बाढ, नायला, तहसील जमावारामगढ जिला जयपुर राज0।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी

2–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

3–उप–पंजीयक, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

रेस्पो0 नम्बर 2 व 3/प्रतिवादी नम्बर 5 व 6

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री महेन्द्र सिंह सांवरिया अपीलांटस की ओर से।

2– रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :–21/02/2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13/04/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्व वाद संख्या 4/2014 उनवानी प्रभू बनाम गोवर्धन व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षिप्त में प्रकरण संबंधी तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट सख्या 01 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि वादी के पिता सर्वा पुत्र लच्छू की तन्हा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1223 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मीणों का बाढ, नायला में स्थित है जिसके सम्वत 2021 के खसरा नम्बर 543 बनाये गये एवं हाल में खसरा नम्बर 18 रकबा 0.45 हैक्टेयर कायम किये गये है। उक्त भूमि वादी के पिता सर्वा के तन्हा खातेदारी की भूमि रही थी जिसे एकीकरण विभाग द्वारा सहवन से सर्वा एवं झूथा पुत्र लच्छू के शामलाती में दर्ज कर दिया गया,जबकि उक्त भूमि सर्वा के खातेदारी की रही है।लेकिन एकीकरण विभाग द्वारा अपने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर सर्वा 1/2 हिस्सा एवं झूंथा 1/2 हिस्सा दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि सर्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इसके बाद उक्त दोनों के नाम उक्त भूमि दर्ज होती रही। वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य शामलाती भूमियां भी सर्वा एवं झूथां की रही है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमियां है जिसके खाते में उक्त वादग्रस्त भूमि शामिल है जो गलत है। जिसकी जानकारी पूर्व में नही हो सकी। सर्वा के फोत होने पर वादी को इसकी जानकारी हो सकी क्योकि वह पढा लिखा व्यक्ति नही है। नवीन जमाबंदी की नकल दिनांक 11/12/2013 को प्राप्त उक्त तथ्य की जानकारी हुई।झूंथा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 01 ता 04 है, जिनके नाम उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्ती कराने को कहा जो वह इंकार हो गये तथा राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी गई। उक्त कथन कर वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–04–2017 को स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 0.45 हैकटेयर ग्राम मीणों का बाढ का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलान्टस ने अपने अपील मीमों में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 19/06/2014 से 10/02/2017 को भी तारीख पेशी आवश्यक कार्य मे व्यस्त रहने से बदली गई थी। दिनांक 13/02/2017 को अचानक जवाब बन्द करने बाबत निर्णय पारित किया जाना कतई तर्क व न्याय संगत नही है। क्योंकि उक्त दिवस को सरकार को जवाब पेश करने हेतु अवसर दे दिया गया। जबकि आर्डर शीट से यह कतई स्पष्ट नही होता है कि सरकार की और से किस तारीख को उपस्थिति दी गई।अधिनस्थ न्यायालय की दिनांक 10/02/2017 के बाद की आर्डरशीट व नजदीक की दी गई तारीख पेशीयों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जैसे अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 में पक्ष में निर्णय करने का तय कर चुकी थी। इसी कारण ना तो रेस्पोडेन्ट की और से कोई साक्ष्य ली गई,ना ही दस्तावेजात को एग्जीविट मार्क करवाया गया तथा मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 के कथनों पर ही आंख मुंद कर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि कतई विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह अवधारणा कायम कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है कि "सम्वत् 2008 से 2027 की खतौनी में भी सरवा ही अकेला खातेदार के रूप से दर्ज रिकार्ड है"। जबकि जमाबंदी सम्वत् 2018 मे कृषक के कॉलम में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पिता सर्वा के नाम के साथ झूथा का नाम भी कृषक के कॉलम में अन्य खसरा नम्बरान के साथ विवादित आराजी बाबत दर्ज किया हुआ है इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी व अन्य आराजीयात पर सर्वा व झूंथा का सम्वत् 2018 के पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

द्वारा मिलकर समय समय पर लगान अदा किया जाता रहा है। प्रकरण पर मौजूदा दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सर्वा व झूंथा के नाम विवादित भूमि अन्य खसरा नम्बरान के साथ दर्ज कर नामान्तकरण खौले जाने को उनके द्वारा अपने जीवनकाल में चैलेंज नही किया गया तथा उनकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा अपने पिता सर्वा के हिस्से की भूमि का वारिसाना नामान्तकरण खुलवाया गया तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा अपना वारिसाना नामान्तकरण खुलवाते समय उसको इस तथ्य की बखुबी जानकारी थी कि विवादित आराजी में उसके पिता का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है जिस बाबत उसके द्वारा कोई आपत्ति नही की गई तथा झूंथा की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान के नाम समय समय पर नामान्तकरण खोला जाता रहा जिस बाबत भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा कोई आपत्ति नही की गई तथा समय समय पर राजस्व लगान सर्वा व झूंथा व उनके वारिसान द्वारा अदा किया जाता रहा तथा विवादित भूमि व अन्य भूमि का उपयोग शामलाती रूप से आपसी सहमति से खातेदारान द्वारा किया जाता रहा, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को राजस्व रिकार्ड संबंधी समस्त तथ्यों की जानकारी शुरू से रही है इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु गलत तथ्यों पर आधारित वाद अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जो कि कानूनन चलने योग्य ही नही होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज करने में भारी भूल की है कि भूमि का एकीकरण करते समय सर्वा व झूंथा के नाम खौले गये नामान्तकरण को किसी के द्वारा चैलेंज नही किया गया तथा ना ही उसके पश्चात् समय समय पर खुले वारिसाना नामान्तकरण को ही चैलेंज किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि सर्वा को इस तथ्य की शुरू से जानकारी रही थी कि विवादित भूमि व अन्य खसरा नम्बरान की भूमि में उसका 1/2 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने 1/2 हिस्से के आधार पर बैंक से लोन भी प्राप्त किया गया।उक्त तमाम तथ्य यह स्पष्ट करते है कि भूमि एकीकरण के समय सर्वा व झूंथा का विवादित भूमि पर कब्जा होने के आधार पर दोनों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज की गई। अपीलान्टस द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/04/2017 निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस अपीलान्टस सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उन्हें सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अवसर नहीं दिया गया है तथा बिना किसी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर वादी का वाद एकतरफा में डिक्री किया गया है जो कि अनुचित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्श किये बगैर ही उनके आधार पर वादी के वाद को स्वयं सिद्ध मानते हुए वाद डिक्री किया गया है अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

6— अधिवक्ता अपीलान्टस की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 13—5—2014 को जवाब हेतु नियत था। तत्पश्चात दिनांक 19—06—2014 से लेकर दिनांक 10—02—2017 तक की तारीख पेशियों में कार्य बहिष्कार, कण्डोलेन्स, चुनाव कार्य एवं अन्य कार्यो में व्यस्तता आदि दर्ज कर आगामी पेशी दी गई है तथा कोई कियात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 13—2—2017 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया है। उसके उपरान्त वादी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा सीधे ही दिनांक 13—4—2017 को बहस सुनी जाकर वादी का वाद डिक्री किया गया है। प्रकरण में वास्तविक विवाद एकीकरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त समय का कोई आदेश उपलब्ध नही है। प्रकरण में यह भी जॉच किये जाने का बिन्दू है कि एकीकरण के समय संवत 2018 के पश्चात प्रस्तुत वाद सन 2014 में प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त विलम्ब की जॉच भी प्रकरण में न्याय हित में किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा वादी के वाद को एकतरफा में साबित मानते हुए पारित किया गया है जो न्याय हित में उचित नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7— अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13—04—2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणागुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8— निर्णय आज दिनांक 21/02/2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जयपुर